सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 385 राँची ,बुधवार 29 श्रावण 1936 (श०)

20 अगस्त, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 अगस्त, 2014

1. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार का पत्रांक- 5047, दिनांक 18 जून, 1994
2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार का संकल्प सं0-10760, दिनांक 7 अक्टूबर, 1998
3. उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-01/गो0, दिनांक 1 जनवरी, 2014
4. उप विकास आयुक्त, गिरिडीह का पत्रांक-64/गो0, दिनांक 1 मार्च, 2000
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का संकल्प सं0-2843, दिनांक 7 दिसम्बर, 2005

संख्या-5/आरोप-1-243/2014 का0 8238-- श्री गंदुर उराँव, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 370/03, गृह जिला- राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेंगाबाद, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के पत्रांक- 5047, दिनांक 18 जून, 1994 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

जिला योजना एवं विकास परिषद् के अनुमोदनोपरांत बेंगाबाद प्रखंड अन्तर्गत मध्य विद्यालय, तुप्पी के निर्माण हेतु मो0 88,342/-(अठासी हजार तीन सौ बयालीस) रूपये की प्राक्कलित राशि पर तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त कार्यान्वयन हेतु तदेन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेंगाबाद श्री गन्दुर उराँव को दिनांक 16 मार्च, 1991 को सौंपा गया। योजना को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि दिनांक 30 अप्रैल, 1991 थी। कार्यान्वयन का दायित्व मिलने पर श्री उराँव द्वारा उक्त प्रखण्ड में पदस्थापित पंचायत सेवक श्री चन्द्रदेव पासवान को योजना का अभिकर्ता चुना गया।

उक्त योजना की जाँच श्री जी0एस0 मुण्डा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह से करायी गयी। श्री मुण्डा के जाँच प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 2 अप्रैल, 1991 को श्री उराँव द्वारा अभिकर्ता श्री इन्द्रदेव पासवान को मो0 7000(सात हजार) रूपये का प्रथम अग्रिम का भुगतान किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 29 अप्रैल, 1991 को मो0 10000(दस हजार) रूपये, पुनः दिनांक 29 अप्रैल, 1991 को ही मो0 10000(दस हजार) रूपये, दिनांक 25 जुलाई, 1991 को मो0 10000 (दस हजार) रूपये, दिनांक 25 जुलाई, 1991 को 10000(दस हजार) रूपये का- इस प्रकार कुल 47000 (सैंतालीस हजार) रूपये का अग्रिम स्वीकृत कर भुगतान किया गया। इन अग्रिमों के भुगतान के क्रम में श्री उराँव द्वारा न ही योजना स्थल का निरीक्षण किया गया और न ही उक्त योजना की तकनीकि जाँच कराई गई। अग्रिम भुगतान के लिए तकनीकि पदाधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य है, जिसका पालन श्री उराँव द्वारा नही किया गया और मनमाने ढंग से अभिकर्ता को भुगतान किया गया, जिससे सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ। आरोपों की जाँच के क्रम में 14 फरवरी, 1992 को कनीय अभियंता N.R.E.P. द्वारा मापी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच सहायक अभियंता N.R.E.P. द्वारा की गई। मापी में कुल अग्रिम मो0 47000(सैंतालीस हजार) रूपये के विरूद्ध योजना में मात्र 289.70 (दो सौ नवासी रूपये सत्तर पैसे) मात्र का कार्य अभिकर्ता द्वारा किया गया पाया गया।

जाँच पदाधिकारी श्री जी0एस0 मुंडा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मध्य विद्यालय लुप्पी, बेंगाबाद के भवन निर्माण योजना के कार्यान्वयन में तदेन प्र0वि0पदा0 श्री उराँव द्वारा बरती गई अनियमितता के फलस्वरूप सरकारी राशि मो0 46710.30 (छियालीस हजार सात सौ दस रूपये तीस पैसे) का दुरूपयोग किया गया।

उक्त आरोपों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प सं0-10760, दिनांक 7 अक्टूबर, 1998 द्वारा श्री उराँव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त, गिरिडीह को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के

पत्रांक-64/गो0, दिनांक 1 मार्च, 2000 द्वारा श्री उराँव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

श्री उराँव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री उराँव के बचाव बयान के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0-2843, दिनांक 7 दिसम्बर, 2005 द्वारा सरकार को रूपये 46,710.30 (छियालीस हजार सात सौ दस रूपये तीस पैसे) के हुए नुकसान में से श्री उराँव से 30,000/- (तीस हजार) रूपये एवं श्री चन्द्रदेव पासवान, पंचायत सेवक से शेष 16,710 (सोलह हजार सात सौ दस) रूपये के वसूली का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-01/गो0, दिनांक 1 जनवरी, 2014 द्वारा सूचित किया गया कि नाजिर रसीद सं0-200952, दिनांक 25 अप्रैल, 2007 द्वारा श्री उराँव से 30,000/- (तीस हजार) रूपये वसूल कर ली गई है। तद्नुसार श्री उराँव के विरूद्ध आरोपों को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 385–50 ।